बिल का सारांश

निरसन और संशोधन बिल, 2022

- निरसन और संशोधन बिल, 2022 को 19 दिसंबर, 2022 को लोकसभा में पेश किया गया। यह बिल 65 कानूनों को निरस्त करता है जोकि अप्रचलित हैं या जिन्हें अन्य कानूनों ने निरर्थक बना दिया है। बिल फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट, 2011 में ड्राफ्टिंग की एक छोटी सी त्रुटि को भी ठीक करता है।
- **कानूनों का निरसन**: बिल की पहली अनुसूची में 24 कानून दिए गए हैं जिन्हें निरस्त किया जाएगा। इनमें से 16 संशोधन कानून हैं और दो कानून 1947 से पहले के हैं।
- **विनियोग कानूनों का निरसन**: बिल की दूसरी अनुसूची में 41 विनियोग कानून हैं जिन्हें निरस्त किया जाएगा। इनमें 18 विनियोग कानून रेलवे से संबंधित हैं। ये सभी कानून 2013 से 2017 के बीच के हैं।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) की स्वीकृति के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

सिद्धार्थ मांदरेकर राव
siddharth@prsindia.org

20 दिसंबर, 2022